नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

11.19

उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर / अवकाश पर है / पदरिक्त है।
अतः पत्रावली दिनांक 21.11.19 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

.11.19 पत्रावली पेश हुई वकीलाय फरिकेन उपस्थित P.O. सा. द्वारा विवादित आराजियात का मौका निरीक्षण दिनांक 18.11.19 को किया गया। उभयपक्ष स्वयं भी उपस्थित। T.D.R मांडल द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शा०प० किया गया, उभयपक्षों ने बहस करनी चाही। उभयपक्षों की बहस सुनी गयी; वास्ते पत्रावली मे आदेश हेतु दिनांक 28.11.19 को पेश हो।

28.11.19 पत्रावली पेश हुई, वकीलाय फरिकेन उपस्थित. वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा. का. अधिनियम के तहत अपनी आराजी नम्बर 8661 रकबा 0.1 बीघा 12 बिस्वा भूमि जो ग्राम माण्डल पटवार हल्का माण्डल ~~तहसील~~ - माण्डल मे स्थित अत भूमि मे प्रार्थीगण के आने-जाने हेतु रास्ता विपक्षी [illegible] 03 की आराजी नं: 8664 की [illegible] चौड़ाई का रास्ता कायम [illegible] आकी। जब कि विपक्षीगण द्वारा जवाब पे[illegible] कर निवेदन कि[illegible] कि उनकी आराजी मे किसी प्रकार का कोई रास्ता नही है।
तहसीलदार माण्डल के जरिये मौका रिपोर्ट तलब की गई. जो न्यायालय की पत्रावली मे शामिल पत्रावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.01.22 16:06:35 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा॰ का॰ अधिनियम स्वीकार योग्य है अतः : : आदेश : : प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा॰ का॰ अधिनियम स्वीकार कियाजाकर प्रार्थीगण की आराजियात ग्राम माण्डल पटवार हल्का माण्डल तहसील माण्डल जिला-भीलवाड़ा मे स्थित आराजी नं॰ 8661 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा भूमि पर आने जाने हेतु रास्ता राजस्व रेकार्ड मे दर्ज नही है। तथा मौके पर कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। अतः तहसीलदार माण्डल को आदेश दिया जाता है कि मौके पर डामर रोड होने से प्रचलित रास्ते को राजस्व रेकार्ड मे अंकित कर नक्शे मे तरमीम करते हुए प्रार्थीगण को आराजी नं॰ 8665 मे से 8664/1 की ओर सीमा के सहारे-सहारे 1.5 ~~फिट~~ गरठा-चौड़ा रास्ता प्रदान करते हुए राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन करे एंव प्रार्थीगण से उक्त रास्ते की एवज मे रास्ते मे आने वाली कुल भूमि की D.L.C. दर की दुगनी राशि प्राप्त कर विपक्षीगण को अदा करे। नियमानुसार अपील अवधि के पश्चात तहसीलदार माण्डल द्वारा निर्णय की पालना की जावे। ... निर्णय की प्रति तहसीलदार माण्डल को ... हुए लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दफ्तर दाखिल हो। (हस्ताक्षर) 20/11/17 उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.01.22 16:06:35 IST
Reason: SelfAttested